



54

समक्ष : न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

प्र.कं. /15-16/निगरानी

R 55-5-I-17

श्री H. W. N. Dey
द्वारा आज दि. 6/2/17 को
प्रस्तुत

वेल्फेयर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर



- 1-बाबू पुत्र माधौ जाति बैरवा
- 2-सर्वजीत पुत्र महलसिंह जाति जाट सिख
- 3-प्यारा सिंह पुत्र मंगलसिंह जाति जाट सिख
- 4-कैलाश पुत्र किशनलाल, समस्त निवासीगण
ग्राम मयापुर तह. व जिला श्योपुर मध्यप्रदेश

.....निगरानीकर्तागण

बनाम

म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर श्योपुर

.....गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत म.प्र.भू0राजस्व संहिता 1959 की धारा 50
विरुद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्र.कं.
106/2000-01/निगरानी आदेश दिनांक 11.01.2001

मान्यवर महोदय,

निगरानीकर्तागण की ओर से निम्न निगरानी पेश है:-

निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

यह कि ग्राम मयापुर में निगरानीकर्ता भूमि पर काबिज होकर खेती करते आ रहे हैं। निगरानीकर्ता भूमि पर काबिज व्यक्तियों को कोई सूचना दिये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय कार्यवाही एक ही दिन में सम्पादित करते हुए निगरानीकर्ता व्यक्तियों की भूमि के पट्टे एवं नाम निरस्त करते हुए भूमि को वन विभाग के नाम अंकित किये जाने के आदेश दिनांक 11.01.2001 को देकर तहसीलदार श्योपुर को पटवारी अभिलेख में अमल कराने के आदेश दे दिये गये, जिसकी जानकारी किसी को नहीं हुई, खसरे में भी उक्त आदेश का अमल कई साल बाद खसरा सम्बत 2061 से 2065 में आदेश कराया गया है। जानकारी होने पर निगरानीकर्ताओं ने माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष रिट पिटीशन क्रमांक 2082/10

कमंश:.....2

R
1/17

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 555/एक/2017

जिला-श्यापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
8-2-17	<p>यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर श्यापुर के प्रकरण क्रमांक 106/2000-01/में पारित आदेश दिनांक 11-01-2001 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि ग्राम मयापुर का अधिवासित रकबा वन विभाग की सीमा में आने से पट्टा निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन पटवारी द्वारा तत्कालीन नायब तहसीलदार श्यापुर के समक्ष पेश की गई पटवारी द्वारा प्रस्तुत सूची के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 30-12-2000 को ही ग्राम मयापुर की भूमि वन विभाग की सीमा में तैयार कर अनुविभागीय अधिकारी श्यापुर के माध्यम से कलेक्टर श्यापुर की ओर अग्रिम कार्यवाही श्यापुर के द्वारा नायब तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कलेक्टर श्यापुर को किस दिनांक को भेजा गया यह आदेश पत्रिका में वर्णित नहीं है तत्पश्चात अपर कलेक्टर श्यापुर द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 106/2000-01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11-01-2001 को सायक्लो-स्टायल के छपे हुये आदेश में पेन से ग्राम का नाम तथा कुल रकबा भरते हुये आवेदकगणों के पट्टे निरस्त कर दिये। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में किसी भी हितबद्ध पक्षकार को सूचना नहीं दी गई ओर ना ही किसी भी ग्रामीण को सूनवाई का अवसर दिया गया। इस कारण से अपर कलेक्टर श्यापुर के आलौच्य आदेश की जानकारी किसी को नहीं हुई अपर कलेक्टर श्यापुर के द्वारा पारित आदेश का अमल पटवारी द्वारा</p>	

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

लगभग 10 वर्षों बाद सम्वत 2061 से 2065 के खसरे में करवाया गया है। अपर कलेक्टर श्योपुर के उक्त आदेश की जानकारी होने पर आवेदकगणों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका क्रमांक 2082/2010 प्रस्तुत की गई है जिस पर सूनवाई करते हुये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण का निराकरण संहिता में वर्णित उपबंधों के अनुसार करने के निर्देश दिये है जिसके क्रम में इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3- निगरानी मेमो में उठाये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा आवेदकगण की ओर से उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

4- आवेदकगणों के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में बताया गया की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण निगरानी में लिया गया था और विधि अनुसार प्रभावित होने वाले पक्षकारों को सुना जाना आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों का अनुसरण किये बिना तथा किसी भी व्यक्ति को सूनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया। उनका यह भी तर्क है कि तत्कालीन पटवारी द्वारा दिनांक 30-12-2000 को प्रस्तुत आवेदन पत्र में वादित भूमि वन विभाग में जाने का उल्लेख किया परन्तु पटवारी द्वारा अपने आवेदन पत्र के समर्थन में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया जिससे यह स्पष्ट हो कि वादित भूमि वन विभाग की है। पटवारी द्वारा दिनांक 30-12-2000 को नायब तहसीलदार श्योपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया तथा नायब तहसीलदार उसी दिन प्रतिवेदन तैयार कर अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के माध्यम से अग्रिम कार्यवाही हेतु कलेक्टर श्योपुर की ओर प्रेषित कर दिया तथा अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा बिना जाँच किये टाईप की हुई आदेश पत्रिका को ग्राम का नाम और व्यक्तियों की संख्या को निरंक





छोड़ते हुये कलेक्टर की ओर पट्टा खारिज करने की अनुशंसा कर प्रकरण प्रेषित कर दिया प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किस दिनांक को कलेक्टर श्योपुर की ओर भेजा गया इसका उल्लेख आदेश पत्रिका पर कहीं भी नहीं है। तथा कलेक्टर श्योपुर द्वारा ग्राम का नाम पेन से अंकित करते हुये आवेदकगणों के पट्टे निरस्त कर दिये गये। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है की अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण निगरानी में लिया गया था। जिससे प्रभावित होने वाले पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वार किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर नहीं दिया और आलौच्य आदेश पारित कर पट्टे निरस्त कर दिये गये। आलौच्य आदेश का अमल लगभग 10-12 वर्षों बाद बिना आवेदकगण को सूचना दिये कर दिया गया। जो कि विधि विरुद्ध है किसी भी भूमि स्वामी को अपना पक्ष रखे जाने का कोई अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया तथा खसरे में अमल सम्वत 2063 में करवाया गया है। जबकि जिस समय खसरे मे अमल कराया गया उस प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका क्रमांक 2082/2010 पर विचाराधीन था और आवेदकगणों के पक्ष में स्थगन आदेश था। उस समय तक भूमि के स्वत्व में परिवर्तन हो गया था। ऐसी स्थिति में आवेदकगणों को सूचना दिया जाना आवश्यक था। अंत में आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा निगरानी स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

5- मध्यप्रदेश शासन के शासकीय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिवत् एवं उचित होने से निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया।


6- उभय पक्षों के अभिभाषकों द्वारा किये गये तर्कों एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार श्योपुर द्वारा बिना प्रकरण का अवलोकन किये एक ही दिन में प्रतिवेदन तैयार कर


R/12

AM

अनुविभागीय अधिकारी की ओर प्रेषित कर दिया। तथा अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा किस दिनांक प्रकरण कलेक्टर श्योपुर की ओर भेजा यह आदेश पत्रिका में कही भी उल्लेखित नहीं है और कलेक्टर श्योपुर द्वारा 11-01-2001 को प्रकरण का बिना अवलोकन किये सायक्लो स्टायल की छपी हुई आदेश पत्रिका पर व्यक्तियों की संख्या एवं ग्राम का नाम पेन से भरते हुये अन्य व्यक्तियों के साथ आवेदकगण के पट्टे निरस्त कर दिये तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश का अमल खसरा पंचशाला में सम्वत् 2063 में किया गया जिससे स्पष्ट है कि आलौच्य का अमल लगभग 12 वर्षों बाद किया गया है जबकि आदेश 11-01-2001 को पारित कर दिया गया था। तो तत्काल अमल क्यों नहीं कराया गया तथा आवेदकगणों को कोई सूचना पत्र भी जारी नहीं किया गया। इस कारण से आवेदकगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने में असमर्थ रहे है एवं पूर्व में इस न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश निरस्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदकगणों के विरुद्ध की गई कार्यवाही स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर कलेक्टर श्योपुर द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 106/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 11-01-2001 विधि विरुद्ध होने से निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार श्योपुर को आदेश दिया जाता है कि संबंधित ग्राम के राजस्व अभिलेखों में सम्वत् 2063 से पूर्व की स्थिति कायम की जाये। इस निर्देश के साथ वर्तमान प्रकरण समाप्त किया जाता है।




(एम०के० सिंह)

सदस्य,

राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर